उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या– 39 /XXX(4)/2018–02(5)/2017
देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर कार्यरत श्री रमेश चन्द्र जोशी पर यह आरोप है कि उन्होने अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा जोशी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव न्याय को सम्बोधित करते हुये शिकायती पत्र प्रेषित कराया, जिसमें लोक सेवा आयोग के सचिव पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाये गये और आयोग द्वारा लिये गये निर्णय की आलोचना की गयी। इस सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र जोशी का स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 27.07.2015 एवं पत्र दिनांक 11.08.2015 द्वारा प्राप्त करते हुये वित्त नियन्त्रक से प्रारम्भिक जांच करवायी गयी। वित्त नियन्त्रक द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को जांच आख्या प्रेषित की गयी। आयोग द्वारा श्री रमेश चन्द्र जोशी को उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम–3(1), 3(2), 7, 24 एवं 24(क) के प्राविधानों के उल्लंघन का दोषी मानते हुये, आयोग के दण्डादेश 06 जनवरी, 2016 द्वारा उत्तरांचल सरकारी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र जोशी को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुये दण्डादेश/शास्ति अधिरोपित की गयी।

2– उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 में अपील के सम्बन्ध में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त वर्णित कार्मिक द्वारा सचिव, लोक सेवा आयोग द्वारा पारित दण्डादेश के विरूद्ध अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दण्डादेश को यथावत रखते हुये अपील निस्तारण आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा अपील निस्तारित कर दी गयी। उक्त के दृष्टिगत श्री रमेश चन्द्र जोशी द्वारा शास्ति अधिरोपित करते समय एवं अपील के निस्तारण के समय सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने के कारण दण्डादेश के पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन हेतु शासन को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। तद्नुसार श्री रमेश चन्द्र जोशी के पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के कम में शासन द्वारा उक्त कार्मिक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसकी सुनवाई दिनांक 15 जनवरी, 2018 को सम्पन्न हुयी। सुनवाई में श्री जोशी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 30.11.2016 तथा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 15.01.2018 एवं सुनवाई में जो विभिन्न तथ्य रखे गये, उनका सम्यक संज्ञान लिया गया, जिनका समेकित विवरण मुख्य रूप से निम्नवत है :–

(क)– अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दण्डादेश जारी किए जाने से पूर्व जांच रिर्पोट एवं आरोपो की प्रति नहीं दी गयी।

(ख)– दण्डादेश पारित करने से पूर्व उन्हें सूचित नहीं किया गया तथा निर्णय अपील निस्तारण के समय उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

(ग)– प्रार्थी को, लघु शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शास्ति अधिरोपित करने तथा पूर्व अवसर के अनुसार नियम 12, 13 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जा सकता तब तक कि कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(घ)– शिकायती पत्र उनकी पत्नी के नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रेषित किया गया है और जो भी पत्र इस संबंध में प्राप्त हुये हैं वह उनके पते पर ही प्राप्त हुये हैं।

(ङ)– सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयोग से प्राप्त सूचना किसी भी अन्य व्यक्ति से मेरे द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं।

(च)– अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग द्वारा सचिव, लोक सेवा आयोग से विचार–विमर्श किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील निस्तारण के समय अपना स्वतंत्र विचारण नहीं कर अनुशासनिक प्राधिकारी की सम्मति से प्रार्थी की अपील का निस्तारण किया गया।

(छ)– वित्त नियंत्रक द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया परन्तु सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और अनुशासन अपील नियमावली, 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी।

3– उक्तानुसार श्री रमेश चन्द्र जोशी के पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के क्रम में शासन द्वारा उक्त कार्मिक को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, जिसकी सुनवाई दिनांक 15 जनवरी, 2018 को सम्पन्न हुयी। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री रमेश चन्द्र जोशी द्वारा विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किये गये। शासन द्वारा सभी तथ्यों पर विचार किया गया।

4– अपील की सुनवाई के दौरान श्री रमेश चन्द्र जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायती पत्र उनकी पत्नी द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है परन्तु यह भी स्वीकार किया गया कि जो भी सूचनायें इस संबंध में प्राप्त हुयी वह उनके पते पर प्राप्त हुयी हैं। यदि श्री रमेश चन्द्र जोशी इस प्रकरण पर निर्दोष होते तो वह पहले ही अपने नियुक्ति प्राधिकारी सचिव, लोक सेवा आयोग को इस संबंध में सूचित कर सकते थे, कि उनकी पत्नी के नाम से फर्जी शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया, जिससे स्पष्ट होता है कि शिकायती पत्र उन्होने अपनी पत्नी के माध्यम से ही प्रेषित किये गये हैं तथा आचरण नियमावली के प्राविधानों के अनुसार यह श्री जोशी की मौन स्वीकृति मानी जायेगी। यह संभव नहीं है कि आयोग कार्यालय में कार्यरत रहते हुये श्री रमेश चन्द्र जोशी को यह ज्ञात न हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगी जा रही है और ऐसा कोई शिकायती पत्र उनकी पत्नी के स्तर से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री रमेश चन्द्र जोशी का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि शिकायती पत्र उनकी पत्नी के द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। साथ ही यह प्रमाणित होता है कि शिकायती पत्र के साथ जो सूचनाएं सलग्न की गई है, वह सूचनाएं श्री जोशी द्वारा स्वयं लोक सेवा आयोग से प्राप्त की गई है।

5– अध्यक्ष लोक सेवा आयोग द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन करने पर कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया है जिसमें यह अंकित हो कि सचिव, लोक सेवा आयोग से विचार–विमर्श के अनुसार अपील को निस्तारित किया जा रहा है अपितु अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से अपील का निस्तारण किया गया है। अतः अपील निस्तारण के समय अपना स्वतंत्र विचारण नहीं कर अनुशासनिक प्राधिकारी की सम्मति से अपील का निस्तारण किये जाने विषयक श्री जोशी का आरोप निराधार है।

6– जहां तक उत्तरांचल सरकारी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र जोशी को अनुशासन अपील नियमावली के अन्तर्गत आरोप पत्र देकर कोई अनुशासनिक

कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही आरोप पत्र दिये जाने के बाद जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। यदि ऐसा होता तब जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच आख्या की प्रति श्री जोशी को अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम–9 के अन्तर्गत देनी आवश्यक थी। परन्तु यहां पर श्री जोशी का पक्ष जानने हेतु दो बार स्पष्टीकरण पत्र दिया गया तथा श्री जोशी द्वारा अपने कथन में स्वयं स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा एक ही स्पष्टीकरण का उत्तर दिया गया है। अतः श्री रमेश चन्द्र जोशी का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रारम्भिक जांच आख्या की प्रति अपचारी कार्मिक को प्रेषित किये जाने का उल्लेख नियमों में नहीं है, क्योंकि मात्र स्पष्टीकरण प्राप्त करके लघु दण्ड दिया जा सकता है। लघु दण्ड देने के लिये अनुशासनिक जांच नहीं की गयी है। अतः जब जांच नहीं की गयी है, तब जांच आख्या की प्रति प्रेषित करके सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न नहीं है।

7– श्री रमेश चन्द्र जोशी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में लोक सेवा अधिकरण तथा खेम चन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय का उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि खेम चन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अन्तर्गत है जो कि युक्तियुक्त सुनवाई के अवसर से संबंधित है और युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर अनुशासनिक कार्यवाही करने के बाद वृहद दण्ड दिये जाने के पूर्व के संबंध में है। उक्त न्याय निर्णय प्रस्तुत मामले में सुसंगत नहीं है क्योंकि प्रश्नगत मामले में मात्र लघु दण्ड दिया गया है। अपीलार्थी से दो स्पष्टीकरण मांगे गये, किन्तु उनके द्वारा एक ही मामले में स्पष्टीकरण दिया गया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण उक्त निर्णय से आच्छादित नहीं माना जा सकता है।

8– उक्त के दृष्टिगत श्री रमेश चन्द्र जोशी द्वारा आयोग के दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तथा प्रत्यावेदन दिनांक 15.01.2018 पर शासन द्वारा विचार किया गया। उपरोक्त कार्मिक के प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर दण्डादेश को निरस्त किये जाने का औचित्य नही पाया गया है। अतः उत्तरांचल सरकारी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के नियम–13 एवं 14 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र जोशी, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को उपर्युक्त वर्णित स्थितियों के सादृश्य सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या– 39 /XXX(4)/2016–02(5)/2017, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
2– सम्बन्धित कार्मिक।
3– गार्ड फाईल।

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव